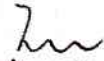


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:-जनपद-हरदोई में शाहजहाँपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग कि०मी०-157-158 के मध्य दायीं पटरी पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प हेतु प्रवेश/निकास मार्ग का निर्माण।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-09/98-एफ०सी० (पी०टी०) दिनांक-28-10-2014 के क्रम में विषयगत कार्य हेतु निहित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रमाणित किया जाता है कि शाहजहाँपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग कि०मी०-157-158 (मार्गपटरी) की भूमि उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति संख्या 1115/14-333/50 दिनांक-10-02-1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है। 13 दिसम्बर 2005 तक 45 वर्ष की अवधि हो रही है। वर्णित कार्य हेतु संरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी, निवास नहीं कर रहे हैं। प्रस्तावित वन भूमि में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।


 (रमेश मिश्र)
 जिलाधिकारी,
 हरदोई।